

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला

अनुमति वाद संख्या - 758/19-20

सोमरा उशैव

आवेदक

बनाम

सुनील उशैव

विपक्षी

आदेश

आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती सोमरा उशैव

पिता/पति लोहरा उशैव निवास

ग्राम पुष्प लड़का रोड़ी थाना गुमला जिला गुमला ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
पुष्प	गुमला 66	87	1516	0.52 एम्मेंले 0.05 एम्ड
(पाँच छिन्नील)				

आवेदित भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण प्रस्तावित क्रेता श्री/श्रीमती सुनील उशैव पिता/पति लोहरा उशैव निवासी ग्राम सोरौरी थाना गुमला जिला गुमला को राशि रुपये 2,00,000 (दो लाख रुपये मात्र) पर बिक्री करने का तय किया है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को मकान बनाने/इलाज हेतु/हर बैल खरीदने हेतु रुपये की आवश्यकता है, रुपये आने का अन्य कोई अन्य स्रोत नहीं रहने के कारण ही आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचलाधिकारी गुमला को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी गुमला के कार्यालय के पत्रांक 875 दिनांक 23/10/19 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति

प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आवेदित प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का शांतिपूर्ण दखल केब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिकता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी/खरीदगी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबरती मू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं मू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति के अज्ञेय है, साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अचल अधिकारी गुमला के जौंच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती सोमरा खैव पिता/पति बिरखार खैव निवासी ग्राम पुगु वड्कारोली थाना हनुमता जिला गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतद द्वारा अज्ञेय प्रदान की जाती है।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
<u>पुगु</u>	<u>गुमला</u>	<u>87</u>	<u>1516</u>	<u>0.52 ए० मे० ले</u> <u>0.05 ए०</u>

(कुल पांच हिलगील)

चौहदी - उत्तर- निज बिक्री
पूरब- इती लोकर का अंश

दक्षिण- परी पत्थर
पश्चिम- इती लोकर का अंश

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार 21/2/2020
गुमला।

भूमि सुधार 21/2/2020
गुमला।